कार्यालय : न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बालोद (छ.ग.)

फोन एवं फैक्स नं. 07749–223077, ई–मेल :balod.court@nic.in

|| आदेश ||

क्रमांक 15/दो–11–1/2020 बालोद, दिनांक 25/06/2024

माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 4653/डीई/तीन–18–27/2023 बिलासपुर, दिनांक 15.03.2024 व संलग्न छ.ग. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटलनगर, नवा रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्र. 2757/976/21–ब/छ.ग./2024 रायपुर, दिनांक 15.03.2024 के द्वारा तृतीय श्रेणी स्टेनोग्राफर के रिक्त 01 पद पर सीधी भर्ती किये जाने हेतु दिये गये अनुमति के आधार पर परिवार न्यायालय, स्थापना बालोद में स्टेनोग्राफर हिन्दी के रिक्त पद की पूर्ति, भर्ती एवं चयन समिति, परिवार न्यायालय, बालोद से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर चयनित निम्नलिखित उम्मीदवार को परिवार न्यायालय, स्थापना बालोद के लिए स्टेनोग्राफर हिन्दी (वेतनमान 28700–91300, वेतन मेट्रिक्स लेवल–7) के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए निम्नांकित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है :–

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पता
1	2	3	4
		स्टेनोग्राफर हिन्दी	
1	**पल्लवी साहू**	श्री विजय कुमार साहू	D/o श्री विजय कुमार साहू, पितरो निवास, महाराणा प्रताप नगर, बोरसी, वार्ड क्र.–52, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ.ग.) पिन कोड़– 491001

छ.ग. सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के अधीन नियुक्ति की शर्ते :–

(1) चयनित उम्मीदवार शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र एवं समस्त दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति तथा अवलोकनार्थ मूल प्रति, सेवा पुस्तिका (02 प्रति में), कार्यभार ग्रहण के समय साथ लेकर उपस्थित होंगे।

(2) नियुक्त कर्मचारी कार्यभार ग्रहण करते समय जिला चिकित्सालय के जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरांत मेडिकल प्रमाण--पत्र के साथ कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होंगे।

(3) नियुक्त कर्मचारी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व निष्ठा रखेंगे। आज्ञाकारिता के उत्कृष्ट मानदंड के अनुसार कार्य करेंगे तथा सौंपे गये कार्य को सहर्ष पूरा करेंगे।

(4) नियुक्त कर्मचारी के चरित्र सत्यापन में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर व किसी प्रकार के अपराध में संलिप्तता होने पर नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

(5) उक्त कर्मचारी को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त किया जाता है।

(6) यदि शासकीय सेवक, सेवा छोड़ना चाहे तो उन्हें कार्यालय प्रमुख को एक माह पूर्व सूचना देना होगा अथवा एक माह का वेतन तथा उस पर देय सभी भत्ते जमा करना होगा।

(7) सेवा के प्रथम वर्ष में उच्च शिक्षा हेतु अध्ययन के लिए अनुमति नहीं दी जावेगी, आगे नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक होगा, अन्यत्र नौकरी हेतु भी नियुक्ति प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(8) नियुक्त कर्मचारी को **दिनांक 06.07.2024** तक अनिवार्य रूप से न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बालोद के कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। नियत अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं किये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
बालोद (छ.ग.)

पृष्ठां० कमांक 248/दो–11–1/2020 बालोद, दिनांक 25/06/2024

प्रतिलिपि :–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल,छ०ग०उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अध्यक्ष, भर्ती एवं चयन समिति, परिवार न्यायालय, बालोद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला कोषालय अधिकारी, जिला–बालोद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बालोद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग बालोद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. **पल्लवी साहू** पिता श्री विजय कुमार साहू, पता-- D/o श्री विजय कुमार साहू, पितरो निवास, महाराणा प्रताप नगर, बोरसी, वार्ड क्र.–52, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ.ग.) पिन कोड-- 491001 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. लेखापाल/देयक लिपिक, कार्या0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
बालोद (छ.ग.)